न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
184/2025

दायर दिनांक
07.04.2025

निर्णय दिनांक
09.06.2025

श्री बरदीचन्द पुत्र श्री रामदयाल कोली, निवासी कोली मोहल्ला, तहसील व जिला भीलवाडा

—— प्रार्थी

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र श्री घीसु लाल जाति खटीक, उम्र वयस्क निवासी–पंचमुखी रोड, दादाबाडी, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.) ।
2. अलाबक्ष बोहरा पुत्र श्री अब्बास अली बोहरा, जाति बोहरा मुसलमान, उम्र वयस्क निवासी–भोपालपुरा रोड, बोहरा कॉलोनी, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)।
3. काईद जोहर बोहरा पुत्र श्री अब्बास अली बोहरा, जाति बोहरा मुसलमान, उम्र वयस्क निवासी–भोपालपुरा रोड, बोहरा कॉलोनी, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)।
4. दीपयन्द पुत्र श्री बरदीचन्द, जाति कोली, उम्र वयस्क निवासी–पंचमुखी रोड, दादाबाडी, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा (राज)।

—— विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी श्री लादु लाल जाट उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हलेड पटवार हल्का हलेड भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील जिला भीलवाड़ा मे दर्ज है प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारो की कृषि भूमि स्थित आराजी संख्या 2951/63, 2953/64, कुल किता 2 रकबा 0.4299 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है।

प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम हलेड पटवार हल्का हलेड भूअभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 2951/63, 2953/64 कुल किता 2 रकबा 0.4299 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
[illegible] अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]
भीलवाडा